बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–अ०सां०नि०/स्था०17–01/2023 222 /पटना, दिनांकः– 28/08/24

कार्यालय आदेश

मो० इसहाक, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक–सह–सहायक प्रबंधक, टी०पी०डी०एस० गोदाम, बगहा–2, राज्य खाद्य निगम, बेतिया सम्प्रति अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध उप महाप्रबंधक, प्रशासन, निगम मुख्यालय, पटना के पत्रांक–10640 दिनांक–30.12.2022 द्वारा भेजे गये आरोप पत्र के आधार पर गठित आरोप पत्र पर निदेशालय के का०आ०सं०–247 सहपठित ज्ञापांक–1505 दिनांक–24.08.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ किया गया। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), पश्चिम चम्पारण, बेतिया को संचालन पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बेतिया को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

मो० इसहाक के विरूद्ध गठित आरोप पत्र के द्वितीय भाग–अवचार या कदाचार के लांछनों का सार में निम्न आरोप गठित किये गयेः–

"(i) मो० इसहाक, पूर्व प्रभारी सहायक प्रबंधक, टी०पी०डी०एस० गोदाम, बगहा–02 (तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बगहा–02) द्वारा अपने पदस्थापन अवधि (दिनांक 31.05.2012 से 06.10.2018) में चावल 7845.91.385 (सात हजार आठ सौ पैतालीस क्विंटल, इक्यानबे किलो तीन सौ पचासी ग्राम) एवं गेहूँ 6773.47.351 क्विंटल (छः हजार सात सौ तिहत्तर क्विंटल सैतालीस किलो तीन सौ एकावन ग्राम), इस प्रकार कुल 14619.38.736 क्विंटल खाद्यान्न की गबन कर निगम/सरकार को मो०4,52,32,364.93 रूपये (चार करोड़ बावन लाख बतीस हजार तीन सौ चौसठ रूपये तिरानवे पैसे) की हानि पहुँचायी गयी है।

(ii) मो० इसहाक द्वारा गोदाम से संबंधित अभिलेख कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

(iii) दिनांक–06.10.2018 को स्थानीय प्रशासन द्वारा की गई भौतिक जाँच एवं जिला कार्यालय, बेतिया द्वारा ऑनलाईन संधारित स्टॉक की तुलना में मो० इसहाक के विरूद्ध कुल 14619.38.736 क्विंटल खाद्यान्न गबन का मामला प्रकाश में आया है।

(iv) कुल 14619.38.736 क्विंटल खाद्यान्न की गबन कर मो० इसहाक द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के क्रियान्वयन में बाधा पहुँचायी गयी एवं लाभुकों को खाद्यान्न से वंचित कर योजना/सरकार को आर्थिक क्षति पहुँचाते हुए खाद्यान्न का गबन कर लिया गया है।"

3. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक–02/वि०जाँ० दिनांक–14.06.2024 द्वारा मो० इसहाक के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित संचालन प्रतिवेदन में निम्न मंतव्य एवं निष्कर्ष दिया गया है :–

"आरोपी का बचाव पक्ष, कागजातों, साक्षियों एवं उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा रखे गये अनुशासनिक प्राधिकार के पक्ष का अवलोकन एवं परिशीलन किया। जिससे स्पष्ट है कि दिनांक–06.10.2018 को अंचल अधिकारी, बगहा–2 एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, बगहा–2 के द्वारा बगहा–2 के बिहार राज्य खाद्य निगम के गोदामों की संयुक्त जांच में गोदामों के सत्यापन के अनुसार खाद्यान्न की मात्रा एवं भंडार पंजी के अनुसार संधारित मात्रा में गेंहूँ और चावल की मात्रा में अन्तर पाया जाना, मो० इसहाक, सहायक प्रबंधक,

टी०पी०डी०एस० गोदाम, बगहा–2, राज्य खाद्य निगम सम्प्रति अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध खाद्यान्न गबन/क्षति को दर्शाता है। तत्कालीन सहायक प्रबंधक द्वारा कार्यालय में संधारित भंडार पंजी की दूसरी प्रति उपलब्ध नहीं कराने के कारण ही ऑनलाईन आगत–निर्गत के आधार पर संधारित स्टॉक को अंकेक्षण का आधार बनाया गया। अंकेक्षण में भी गेंहूँ एवं चावल की मात्रा में अन्तर पाया जाना आरोप को पूर्णतः प्रमाणित करता है। आरोपी द्वारा अपने बचाव में सिर्फ लिखित अभिकथन समर्पित किया गया है। बचाव में कोई ऐसा साक्ष्य समर्पित नहीं है जिससे उन पर लगे आरोप गलत साबित हो सकें। जो अनुलग्नक संलग्न है, वो कार्यालय द्वारा किया गया पत्राचार, चिकित्सक का प्रतिवेदन, वकालतनामा, फोटो, शबनम हाशमी का आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न है।

निष्कर्ष :– आरोपी के अधिवक्ता द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन, Oral Statement, उपस्थापन पदाधिकारी–सह–जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बेतिया द्वारा रखा गया अनुशासनिक प्राधिकार का पक्ष एवं तीनों साक्षियों के गवाहों के अवलोकन एवं परिशीलन से मो० इसहाक, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक–सह–सहायक प्रबंधक, टी०पी०डी०एस० गोदाम, बगहा–2, राज्य खाद्य निगम, बेतिया सम्प्रति अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने कार्यकाल में किये गये खाद्यान्न की गबन को स्पष्टतः दर्शाता है। मो० इसहाक द्वारा अपने बचाव में ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जो इन पर गठित आरोप को गलत साबित कर सकें। दिनांक–06.10.2018 को अंचल अधिकारी, बगहा–2 एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, बगहा–2 द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन में प्राप्त खाद्यान्न की मात्रा एवं भंडार पंजी में संधारित मात्रा में अंतर पाया जाना, जांच में कुल–1158 चावल बैग (जिसमें 300 सही चावल के बैग ठीक था, को निकाला जा चुका था) नहीं मिलना तत्पश्चात् दिनांक–06.10.2018 तक ऑनलाईन स्टॉक को आधार मानते हुए (भंडार पंजी की दूसरी प्रति कार्यालय में तत्कालीन सहायक प्रबंधक द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण) अंकेक्षण किये जाने पर भौतिक सत्यापन में प्राप्त खाद्यान्न और ऑनलाईन स्टॉक के अनुसार गेंहूँ–6773.47.351 क्विंटल एवं चावल–7845.91.385 क्विंटल कुल–14619.38.736 क्विंटल खाद्यान्न अन्तर पाया जाना, मो० इसहाक द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के क्रियान्वयन में बाधा पहुँचाना एवं लाभुकों को खाद्यान्न से वंचित कर योजना/सरकार को आर्थिक क्षति पहुँचाते हुए, खाद्यान का गबन को दर्शाता है। आरोप पूर्णतः प्रमाणित है।"

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप पूर्णतः प्रमाणित है, के समर्पित संचालन प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(3) में किये गये प्रावधान के तहत निदेशालय के पत्रांक–1066 दिनांक–04.07.2024 द्वारा मो० इसहाक से अभ्यावेदन/निवेदन की मांग किया गया। मो० इसहाक द्वारा अपना अभ्यावेदन अबतक समर्पित नहीं किया गया है, लेकिन उनके स्थान पर उनकी पत्नी श्रीमती शबनम हाशमी द्वारा एक अभ्यावेदन दिया गया है।

5. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(3) में संचालन प्रतिवेदन पर सरकारी सेवक द्वारा लिखित अभ्यावेदन या निवेदन अनुशासनिक प्राधिकार को देने का उल्लेख है। उक्त नियम में सरकारी सेवक के किसी परिजन द्वारा अभ्यावेदन या निवेदन देने का उल्लेख नहीं है।

फिर भी मो० इसहाक की पत्नी श्रीमती शबनम हाशमी द्वारा समर्पित अभ्यावेदन का समीक्षा किया गया। अभ्यावेदन की समीक्षा में पाया गया कि इनके द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य/कागजात संलग्न नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो कि इनके द्वारा उक्त खाद्यान्न का गबन नहीं किया गया है। जबकि संचिका में मो० इसहाक के विरूद्ध गठित आरोप के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है।

6. उल्लेखनीय है कि मो० इसहाक के विरूद्ध प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर गठित आरोप प्रारूप पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(4) में किये गये प्रावधान के तहत निदेशालय के पत्रांक–299 दिनांक–08.02.2023 द्वारा उनसे अभ्यावेदन की मांग की गई थी। उक्त पर मो० इसहाक के बदले उनकी पत्नी श्रीमती शबनम हाशमी द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया था जिसमें उल्लेख किया गया था कि 'Md Ishaque is in no position to write and speak any thing.'

ऐसी स्थिति में निदेशालय के पत्रांक–914 दिनांक–29.05.2023 द्वारा जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में एक मेडिकल बोर्ड का गठन करते हुए मो० इसहाक, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मुजफ्फरपुर के स्वास्थ्य की सघन जाँच कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का अनुरोध किया गया।

7. उक्त के आलोक में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–2112 दिनांक–15.06.2023 के साथ संलग्न कर मो० इसहाक, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मुजफ्फरपुर का मेडिकल बोर्ड द्वारा जाँचोपरान्त जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। मेडिकल बोर्ड के जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि :–

"In the opinion of Medical Board, presently Md. Ishaque is not able to stand, walk, talk, write or sign and is totally dependent on his family members for his daily activities."

अतः संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित संचालन प्रतिवेदन कि आरोप पूर्णतः प्रमाणित है, से सहमत होते हुए एवं असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जाँचोपरान्त समर्पित जाँच प्रतिवेदन को दृष्टिगत रखते हुए मो० इसहाक, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक–सह–सहायक प्रबंधक, टी०पी०डी०एस०, गोदाम, बगहा–2, राज्य खाद्य निगम, बेतिया सम्प्रति अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मुजफ्फरपुर पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(ix) के तहत् **आदेश निर्गत की तिथि से अनिवार्य सेवानिवृति करने संबंधी दण्ड** अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

साथ ही मो० इसहाक द्वारा किये गये खाद्यान्न के गबन की राशि संबंधित विभाग/निगम द्वारा वसूल की जायेगी।

ह०/–

(हिमांशु कुमार राय)
निदेशक

ज्ञापांकः–अ०सां०नि०/स्था०17–01/2023 1393 /पटना, दिनांकः– 28/08/24

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. उप महाप्रबंधक, प्रशासन, निगम मुख्यालय, बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि०, पटना को उनके पत्रांक–10640 दिनांक–30.12.2022 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4. जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. उप निदेशक (सांख्यिकी), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. कोषागार पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
8. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार,पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
9. मो० इसहाक, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक–सह–सहायक प्रबंधक, टी०पी०डी०एस० गोदाम, बगहा–2, राज्य खाद्य निगम, बेतिया सम्प्रति अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

२५.८.२४

निदेशक